बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
<u>संकल्प</u>

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत गठित सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) अधिनियम, 2025 अंतर्गत अंगीकृत करने एवं विकसित भारत–जी राम जी योजना, बिहार, 2026 का निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी को अधिकृत करने के संबंध में ।

केन्द्र प्रायोजित महात्मा गांधी नरेगा के स्थान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) योजना अधिसूचित है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित सांविधिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करना है । इसका मुख्य लक्ष्य विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है ।

2. महात्मा गांधी नरेगा एक जुलाई 2026 से निरसित हो जाने के फलस्वरूप विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत कियान्वित योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जनभागीदारिता से परियोजनाओं का निगरानी करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं परियोजनाओं के कियान्वयन में पाये गये दोष का पता लगाकर उन्हें दूर करने हेतु विकसित भारत– जी राम जी अधिनियम, 2025 अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी का अंगीकरण किया जाना है ।

3. विकसित भारत– जी राम जी अधिनियम, 2025 के धारा 20 अनुसार ग्राम सभा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों के निष्पादन का अनुश्रवण करेगी । ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर स्कीम के अधीन लिए गए सभी कार्यों की नियमित सामाजिक संपरीक्षा, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी । ग्राम पंचायत, सामाजिक संपरीक्षा के संचालन के लिए अपेक्षित सभी अभिलेख और दस्तावेज, जिनके अंतर्गत मस्टर रोल, बीजक, वाउचर, माप पुस्तिकाएं, मंजुरी आदेश, डिजिटल अभिलेख, जियो–टैग्ड फोटोचित्र और अन्य सभी संबंधित लेखा बहियां और कागज पत्र भी हैं, चाहे भौतिक रूप में या इलक्ट्रॉनिक रूप में रखें जाएं, ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी । साथ ही अधिनियम के अनुसूची I के कंडिका 25 (1) में उल्लेखित है कि इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक योजना में कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आज्ञापरक सार्वजनिक प्रकटीकरण और Social Audit सहित व्यापक उपबंध होगें ।

अधिनियम के अनुसूची I के कंडिका 25 (3) a अनुसार इस अधिनियम के अधीन सभी कार्य, व्यय और गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से कम से कम प्रत्येक छः माह में एक बार Social Audit के अध्याधीन होगें । कंडिका 25 (3) b अनुसार Social Audit आयोजित करने की प्रकिया, मानक और तौर–तरीके इस अधिनियम के अधीन बनाए

गए नियमों में विहित किए जाएंगे । कंडिका 25 (3) c अनुसार ऐसे नियमों के अधिसूचित होने तक महात्मा गॉधी नरेगा योजना के Social Audit Rule, 2011 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन Social Audit के संचालन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें।

4. विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) अधिनियम, 2025 अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी के अंगीकरण के फलस्वरूप विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) अधिनियम, 2025 के अनुसूची I के कंडिका 25 (3) के आलोक में Social Audit Rule, 2011 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन Social Audit के संचालन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें ।

5. विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से इसके अंतर्गत कार्यशील सभी स्वीकृत पद, अपने कार्य एवं दायित्व के साथ यथावत कार्य करते रहेंगे ।

6. राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.07.2026 को आहूत बैठक की मद संख्या– 05 में लिए गये निर्णय के आलोक में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत गठित सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) अधिनियम, 2025 अंतर्गत अंगीकृत करने एवं विकसित भारत–जी राम जी योजना, बिहार, 2026 का निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी को इस योजना अंतर्गत अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14/07/2026
(पंकज कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
पटना, दिनांक 15/07/2026

ज्ञापांक :– 5927731
ग्रा0वि0 07 (वीबी–जी राम जी) –11/2026

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

14/07/2026
सरकार के प्रधान सचिव
पटना, दिनांक 15/07/2026

ज्ञापांक :– 5927731
ग्रा0वि0 07 (वीबी–जी राम जी) –11/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

14/07/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–5927731 पटना, दिनांक 15/07/2026

ग्रा0वि0 07 (वीबी–जी राम जी) –11/2026

प्रतिलिपिः– सचिव, राज्यपाल सचिवालय/सचिव, लोकायुक्त/सचिव कार्यालय, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

14/07/2026

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–5927731 पटना, दिनांक 15/07/2026

ग्रा0वि0 07 (वीबी–जी राम जी) –11/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी/मिशन निदेशक, जल–जीवन–हरियाली मिशन/निदेशक सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

14/07/2026

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–5927731 पटना, दिनांक 15/07/2026

ग्रा0वि0 07 (वीबी–जी राम जी) –11/2026

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

14/07/2026

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–5927731 पटना, दिनांक 15/07/2026

ग्रा0वि0 07 (वीबी–जी राम जी) –11/2026

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोडिंग हेतु प्रेषित ।

14/07/2026

सरकार के प्रधान सचिव